प्रेस विज्ञप्ति Press release 16/06/2018

## (English translation by google translate)

16 जून 2011 को जेनीवा में अतंराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के सम्मेलन 189 के तहत घरेलू काम को एक मर्यादापूर्ण काम का दर्जा देते हुए कई दिशा निर्देश दिये, जिसे भारत समेत अधिकतर देशों ने समर्थन दिया।

घरेलू काम को मर्यादा और घरेलू कामगारों को श्रमिक का दर्जा देने का इस ऐतिहासिक अतंराष्ट्रीय निर्णय को याद करते हुए पूरे विश्व में 16 जून को अतंराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ILO सम्मेलन 189 में घरेलू काम को परिभाषित करते हुए घरेलू कामगारों के लिए जिन अधिकारों की रक्षा के बारे में कहा गया है वह है—मर्यादा पूर्ण कार्य, उचित मजदूरी, सप्ताहिक छुट्टी, सुरक्षित कार्यस्थल आदि।

On June 16, 2011, under the International Labor Organization (ILO) Conference 189, giving many guidelines, giving home work a decent work, which supported most of the countries including India.

Recalling this historic international decision to limit domestic work and providing labor status to domestic workers, the World is celebrated as International Domestic Workers Day on June 16th.

समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति में अहम योगदान होने के बावजूद घरेलू कामगार अपने घर मालिक और सरकार दोनों की ओर से अवहेलना और शोषण लगातार झेल रही है। इन्हें न सही मजदूरी मिलती है न साप्ताहिक छुट्टी, न स्वास्थ्य का लाभ, न पौष्टिक भरपेट भोजन, न पीने का साफ पानी, न आवास और न ही बच्चों के लिए शिक्षा। इसके आलावा घरेलू कामगार मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण का शिकार भी होते है। अधिक उम्र के कारण काम से लाचार हो जाने पर न इनके पास कोई बचत होता है न ही सरकार द्वारा कोई लाभ योजना।

चूँकि घरेलू कामगारों के लिए आज तक कोई समुचित कानून सरकार ने नहीं बनाई, इसलिए इतना शोषण होते हुए भी इन्हें कोई उचित न्याय नहीं मिल पाता है।

आज, 16 जून 2018 को अतंराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के अवसर पर हम घरेलू कामगार सरकार एवं श्रम विभाग के समक्ष निम्न माँगों को रखते हैं:—

In spite of being a major contributor to society, economy, politics and culture, domestic workers are constantly overbearing and exploiting both their homeowners and the government. They get the right wages

Since the government has not made any proper law for the domestic workers till date, so even though they are so exploited, they do not get any fair justice.

Today, on the occasion of International Domestic Workers' Day on June 16, 2018, we keep the following demands in front of the domestic labor government and labor department:

- ILO 189 को भारत सरकार अविलम्ब अनुसमर्थन करें।
- घरेलू कामगारों के लिए समुचित कानून बनाया जाए
- घरेलू कामगारों की मजदूरी काम के हिसाब से अधिसूचित हो।
- घरेलू कामगारों को बी० पी० एल० सूची में शामिल किया जाए।
- शहर में घरेलू कामगारों के लिए आवास की व्यवस्था किया जाए।

Government of India urgently to ratify the 189th. Proper laws should be made for domestic workers Wages of domestic workers are notified according to work. BPL details to domestic workers

इन्हीं सब मुद्दों को केन्द्रीत कर आज अतंराष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बोलते हुए मुख्य अतीथि श्री नवीन जयसवाल, माननीय विधायक, हटिया राँची ने कहा कि सरकार घरेलू कामगार सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न प्रकार के योजनाएँ चला रही है। उन्होंने यह आश्वासन दिया कि जिस प्रकार वह हमेशा जन साधारण के हितों के रक्षा के लिए खड़े रहे हैं वह हमेशा ही घरेलू कामगारों के हितों के लिए साथ देते रहेंगे।

Today, the International Domestic Workers' Day Festival was organized by organizing these issues. Speaking at the function, Chief Guest Mr. Naveen Jaiswal, Hon'ble MLA, Hatia Ranchi said that the government is working on domestic work

विशिष्ट अतिथि श्री रामटहल चौधरी, माननीय सांसद, राँची ने घरेलू कामगार के संघ को और भी मजबूत करने की बात कही, उन्होंने कहा कि I.L.O. C-189 एवम घरेलू कामगारों के लिए राष्ट्रीय कानून के मुद्दे को संसद में रखने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जब भी कोई घरेलू कामगारों की हितों की बात आयेगी तो वो पीछे नहीं रहेंगे।

A special guest, Mr. Ramlahal Chaudhary, Honorable Member of Parliament, Ranchi talked of strengthening the union of domestic workers, he said that the issue of National Law for domestic workers of 189 and domestic workers should be resolved.

माननीय अतिथि श्री जीतू चरण, माननीय विधायक, राँची ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया।

Hon'ble Guest Mr. Jitu Phayam, Honorable MLA, Ranchi told about various welfare schemes being run by the Center and the State Government.

इनके अलावा भूतपूर्व बाल कल्याण समीति सदस्य श्रीमति मीरा मि़श्रा, सामाजिक कार्यकर्ता श्री राजन, 'आली' संगठन की श्रीमति रेश्मा ने भी अपने अपने विचार कार्यक्रम में रखा।

Apart from these, former Child Welfare Committee Member Smt. Mira Mishra, Social Worker Mr. Rajan, Ms. Rashma of 'Aali' organization also took part in their own thoughts program.

झारखण्ड घरेलू कामगार यूनियन के सदस्यों ने गीत एंव नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पाँच जिलों से लगभग 500 घरेलू कामगार उपस्थित हुए।

Members of the Jharkhand Domestic Workers Union presented the song and dance. About 500 domestic workers were present from five districts in the program.

राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन राँची फोन न० 9122191872 **झारखण्ड घरेलू कामगार यूनियन** राँची फोन न० 9661478447

National domestic workers organization Ranchi

Jharkhand Domestic Workers Union Ranchi